

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक : 13 अक्टूबर, 2017

विषय:- प्रदेश में सम्भावित सूखे से निपटने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेखनीय है कि मानसून अवधि में कम वर्षा होने के कारण प्रदेश में सम्भावित सूखे से निपटने हेतु शासनादेश संख्या-256/1-11-2017-05(जी)/2016, दिनांक 09.05.2017 द्वारा समस्त जनपदों को जनपदीय कार्ययोजना बनाये जाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-1069/1-11-2017-05(जी)/2016, दिनांक 21.09.2017 द्वारा समस्त जनपदों को भारत सरकार के सूखा मैनुअल 2016 में सूखा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानक यथा जनपद में वर्षा की स्थिति, बुआई का क्षेत्रफल, एनडीवीआई वैल्यू, आर्द्रता, पौधों में हरियाली की स्थिति आदि के आधार पर जनपद में सूखे से सम्बन्धित आख्या स्पष्ट अभिमत के साथ शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3. उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-4/4/7/2017-सीएक्स(1), दिनांक 22.09.2017 द्वारा प्रदेश में सम्भावित सूखे की स्थिति का आंकलन करने हेतु मंत्री समूह का भी गठन किया गया है, जिसके क्रम में मंत्री समूह द्वारा कतिपय मण्डलों के जनपदों का भ्रमण किया गया है।

4. प्रदेश में सम्भावित सूखे से निपटने हेतु विभिन्न विभागों के द्वारा निम्नवत् कार्य किये जाने है:-

4.1 कृषि विभाग/उद्यान विभाग

- (क) मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
- (ख) वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (ग) फसलों में रोग से बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

4.2 सिंचाई विभाग

- (क) सिंचाई के सभी संसाधनों/सरकारी नलकूपों को चालू स्थिति में रखना सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- (ग) नहरों के अवैध कटान पर कड़ी निगरानी रखी जाय।
- (घ) नहरों के टेल तक पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया जाय।
- (ङ) खराब नलकूपों की समय से मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाय।
- (च) पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों/नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों को भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

4.3 पशुपालन विभाग

- (क) पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।
- (ख) पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (ग) महामारी के नियन्त्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टॉक तैयार रखा जाय।

4.4 ग्राम्य विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग

- (क) पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों की उचित मरम्मत सुनिश्चित कर ली जाय ताकि आवश्यकतानुसार उनको उपयोग में लाया जा सके।
- (ख) पेयजल के कुँओं को आवश्यकतानुसार गहरा करा लिया जाय।
- (ग) खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें, विशेष रूप से मनरेगा के माध्यम से।

4.5 खाद्य एवं रसद विभाग/राज्य पोषण मिशन/बाल विकास एवं पुष्टाहार

- (क) आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था कर ली जाय।
- (ख) कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर ली जाय।
- (ग) मौके पर जनसामान्य को विभिन्न वस्तुएं सही रूप में उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाय। इस विषय में आकस्मिक निरीक्षण भी करा लिया जाय।

4.6 ऊर्जा विभाग

- (क) खराब ट्रान्सफार्मरों को अनिवार्य रूप से 24 घण्टे में बदला जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) रोस्टर के अनुसार विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

4.7 नगर विकास विभाग (जल निगम, जल संस्थान, नगर निकाय)

- (क) नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हैण्ड पम्पों को क्रियाशील रखा जाय।
- (ख) पानी की टंकियों से घरों तक पेय जल की व्यवस्था की आपूर्ति निर्बाध सुनिश्चित की जाय।

4.8 विभिन्न विभागों द्वारा जनपद में उपर्युक्तानुसार की जा रही कार्यवाहियों का अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के माध्यम से समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण

कराना सुनिश्चित किया जाय, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी क्षेत्र में जाकर आकस्मिक निरीक्षण किया जाय।

5. प्रदेश में सूखे की सम्भावित स्थिति से निपटने हेतु उपर्युक्तानुसार जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कृत कार्यवाही की सूचना तथा सूखा मैनुअल-2016 में निर्धारित मानकों के अनुसार अपने जनपद की वस्तुस्थिति का परीक्षण करते हुए यदि सूखाग्रस्त घोषित किया जाना अपेक्षित हो, तो सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित दिनांक 25.10.2017 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. उक्त के अतिरिक्त सूखे के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों की अद्यतन साप्ताहिक रिपोर्ट संलग्न प्ररूप पर दिनांक 30.10.2017 से लेकर माह जनवरी, 2018 तक प्रत्येक सोमवार को राहत आयुक्त संगठन, राजस्व विभाग के ईमेल-rahata@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(राजीव कुमार)

मुख्य सचिव

संख्या 1177(1)/1-11-2017-05(जी)/2016 एवं दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि, उद्यान, सिंचाई एवं जल संसाधन, पशुपालन, नगर विकास, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, खाद्य एवं रसद तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को इस आशय से प्रेषित की उपर्युक्तानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु यथावश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
6. निदेशक, पशुपालन/पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

सूखा मॉनिटरिंग हेतु साप्ताहिक रिपोर्ट

(प्रत्येक सोमवार अपराह्न 1.00 बजे तक राज्य कन्ट्रोल रूम को email- rahat @nic.in या फ़ैक्स नं० 0522-2236305 / 2238084 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।)

नोट- रिपोर्ट के प्रेषण के समय संग्रहित सूचना की समीक्षा जिला स्तरीय सम्बन्धित विभाग की सूचनाओं से मिलान करके इन्द्राज किया जाय।

जनपद का नाम : रिपोर्ट की तिथि :

1. विद्युत आपूर्ति (घण्टों में) -
 - (क) जिला मुख्यालय -
 - (ख) ग्रामीण क्षेत्र -
 - (ग) कुल ट्रान्सफार्मर की संख्या -
 - (घ) खराब ट्रान्सफार्मर की संख्या -
 - (च) ऊर्जीकरण हेतु अवशेष नलकूपों की स्थिति -
2. डीजल की उपलब्धता की स्थिति -
3. नहरों की स्थिति (सिंचाई विभाग से संयुक्त समीक्षा उपरान्त वास्तविक स्थिति) -
 - (क) कुल टेलों की संख्या -
 - (ख) जिन टेलों पर पानी नहीं पहुँचा उनकी संख्या -
 - (ग) जनपद में स्थापित पम्प कैनल की संख्या-
 - (घ) जनपद में स्थापित पम्प कैनल की संख्या जो संचालित नहीं हैं-
 - (च) ऐसे पम्प कैनल की संख्या जो संचालित तो हैं पर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हैं-

4. हैण्ड पम्पों/सरकारी नलकूपों की स्थिति -

क्र. सं.	मद	जनपद में कुल संख्या	स्थायी रूप से खराब की संख्या	मरम्मत योग्य		अभ्युक्ति
				15 दिन से कम खराब की संख्या	15 दिन से अधिक खराब की संख्या	
1	हैण्डपम्प (ग्रामीण क्षेत्र)					
	हैण्डपम्प (शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय)					
2	सरकारी नलकूप (पेयजल) (ग्रामीण क्षेत्र)					
	सरकारी नलकूप (पेयजल) (शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय)					
3	सरकारी नलकूप (सिंचाई)					

7. हैण्डपम्प-

मद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय	अभ्युक्ति
जनपद में रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्प की संख्या			
उक्त के लिये आवश्यक धनराशि (लाख रु० में)			
जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि (लाख रु० में)			
अब तक रिबोर कराये गये हैण्डपम्प की संख्या			
रिबोर कराने हेतु अवशेष हैण्डपम्प की संख्या			

पेयजल—

- (क) पेयजल रागरथा से ग्रस्त आवाधियों की संख्या (प्रभावित ग्रामों, नगरीय इलाकों को सम्मिलित करें)–
- (ख) कुल आवाधियों की संख्या जहां टैंकर्स लगाये गये हैं–
- (ग) लगाये गये कुल टैंकर्स की संख्या–
- (घ) पेयजल उपलब्धता के संबंध में जिले स्तर पर की गयी अन्य कार्यवाही–

9. तालाबों/जलाशय में पानी की स्थिति (पंचायती राज विभाग/सिंचाई विभाग)–

- (क) जनपद में तालाब/जलाशय की संख्या –
- (ख) जनपद में जल से भरे/भराये गये तालाब/जलाशय की संख्या–
- (ग) जनपद में सूखे तालाब/जलाशय की संख्या–
- (घ) ऐसे ग्रामों की संख्या जहाँ तालाब/जलाशय नहीं हैं अथवा भरे हुये नहीं हैं–

10. कूपों की स्थिति –

- (अ) जनपद में कुल कूपों की संख्या–
- (ब) पेयजल/सिंचाई हेतु प्रयोज्य कूपों की संख्या –
- (स) निष्प्रयोज्य कूपों की संख्या–

11. पशुओं हेतु चारा व पानी की स्थिति –

- (क) संचालित पशु राहत कैम्पों की कुल संख्या–
- (ख) राहत कैम्पों में लाभान्वित पशुओं की कुल संख्या–
- (ग) जनपद में चारे की स्थिति –
- (घ) पशुओं हेतु पीने के पानी से समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या व उसके सापेक्ष कृत कार्यवाही का विवरण–

12. रोजगार कार्यों का विवरण –

क्र.सं.	विवरण	रोजगार कार्यों की संख्या	कुल सृजित मानव दिवस की संख्या
(क)	मनरेगा योजना		
(ख)	रोजगार सृजन की अन्य योजनाएं		

13. जनपद में खरीफ फसल की बोवाई की स्थिति –

क्र.सं.	विवरण	धान	उरद	अरहर	बाजरा	मूंग	तिल	अन्य
1	लक्ष्य (लाख हे०)							
2	बोया गया क्षेत्रफल (लाख हे०)							
3	अवर्षण के कारण 33 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसल (लाख हे०)							

14. जनपद में सूखे से सम्बन्धित किसी विभाग हेतु कोई अपेक्षा हो तो उससे सम्बन्धित तथ्यात्मक टिप्पणी –

नोडल अधिकारी का नाम
पदनाम व हस्ताक्षर